

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)  
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./  
प्रति,

127

बालाघाट, दिनांक 04/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कांद्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155493/2022)

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1253/2023/10-11/5361, 5362 दिनांक 21.12.2023


—00—

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी आवेदक विभाग-महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट द्वारा उनके पत्र क्रमांक/2846/तक. /मप्रग्रासविप्रा/2023 दिनांक 24.12.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) अतएव प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 05 बिन्दुओं पर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	वनमंडल में प्रचलित अनुमोदित कार्य आयोजना में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The total area of various proposals is more than 40.00 ha. in the same division and with same User Agency. the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted.	—
3	The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0032/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (सरकार घास चराई) ग्राम-टेकाड़ी, प.ह.न. 42, तह. कटंगी, जिला बालाघाट के खसरा नं. 356 में कुल रकबा 22.296 हे0 मे से 8.000 हेक्टेयर (01 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/155493/2022 रकबा 7.47 हे0 भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना 01 प्रस्ताव के लिये बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त 01 प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है।
4	The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है।

5	The proposed road falls under Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. Thus comments of CWLW shall be submitted.	आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित सड़क, टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नहीं आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नहीं गुजरता है। अर्थात् CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
---	--	---

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


  
(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी,  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट  
बालाघाट दिनांक 04/01/2024

पृ. क्रमांक/मा0चि0/ 128  
प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. आवेदक विभाग- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित संबंध में आपके पत्र क्रमांक/2846/तक/मप्रग्रासप्रा/2023 दिनांक 24.12.2023 द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.से.  
वनमंडलाधिकारी,  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

कार्यालय महाप्रबंधक  
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.-1, बालाघाट  
फोन नं.-07632 240334 ई मेल-gm\_bgtpiu1@rediffmail.com

पत्र क्र. 2846/तक/मप्रग्रासप्रा/2023  
प्रति,

बालाघाट दिनांक 24/12/2023

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (आनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155493/2022 )

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्र. एफ-5/1253/2023/10-11/5361 भोपाल दिनांक 21.12.23

.....00.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के तहत 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में भी दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The total area of various proposals is more than 40.00 ha. in the same division and with same User Agency. the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted.	वनमंडल से संबंधित है।
3	The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0032/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (छोटे झाड़ का जंगल व घांस) ग्राम- टेकाडी, प.ह.न. 42, तह. कंटगी, जिला बालाघाट के खसरा नं. 358 में रकबा 7.47 हे० (01 प्रस्ताव के लिए समेकित 1. FP/MP/Road/155493/2022 रकबा 7.47 हे० भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है।
4	The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है।
5	The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. comments of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित सड़क, टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नहीं आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नहीं गुजरता है। अर्थात् CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।




महाप्रबंधक  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. 2847/तक/मप्रग्रासविप्रा/2023  
प्रतिलिपी:-

बालाघाट, दिनांक 24/12/2023

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ ।



म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट